



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

Telephone - 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01 / योबो-29/2021- 769

दिनांक : 23/11/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/गोड्डा वन प्रमण्डल,  
गोड्डा/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/धनबाद वन प्रमण्डल,  
धनबाद/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल,  
गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयित की जाने वाली "सिल्विकल्वरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 388.902 (तीन करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबो-33/2020-15/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबो-32/2020-35/आ0 व0प0 दिनांक 26.10.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 388.902 (तीन करोड़ अठासी लाख नब्बे हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड           | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S24060110140010103 | 293.022        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060110140010323 | 95.880         |
| कुल :-              |                      | 388.902        |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

~

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060110140010103 एवं 19S24060110140010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक रथलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे रथलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल—मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टेक्टर लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

5. वन सर्वद्वन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा रथल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुर्नजनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

13. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

14. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैद्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

15. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का व्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते/डाकघर खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका—VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

16. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र—संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र—संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

17. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ—जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें विनिहित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

21. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—सह—ज्ञापांक—686, दिनांक—05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. कोषागार से निकासी के संबंध में समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

25. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा अभी तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अग्रिम कार्य स्थल को अनुमोदित कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। राशि का उप—आवंटन इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी उपरोक्त समिति से स्थलों को अनुमोदित कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के बाद ही कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—29 / 2021— 769 दिनांक— 23 / 11 / 2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ बोकारो/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ गिरिडीह/ बोकारो/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—29 / 2021— 769 दिनांक— 23 / 11 / 2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ गोड्डा/ गिरिडीह/ धनबाद/ मेदिनीनगर/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्यरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेक्टेक्टर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 311.33 प्रति मानव दिवस)

| क्र० सं०  | वन प्रमण्डल का नाम                   | भौतिक लक्ष्य (हेक्टर) | वित्तीय लक्ष्य |                       |          | (राशि लाख में) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------|
|           |                                      |                       | मजदूरी         | आपूर्ति एवं साम्रग्री | कुल      |                |
|           |                                      |                       | 40472.90       | 13243.14              | 53716.04 |                |
| (क)       | दुमका रीजन                           |                       |                |                       |          |                |
| 1         | देवघर वन प्रमण्डल, देवघर             | 100                   | 40.473         | 13.243                | 53.716   |                |
| 2         | गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा           | 50                    | 20.236         | 6.622                 | 26.858   |                |
| योग:-     |                                      | 150                   | 60.709         | 19.865                | 80.574   |                |
| (ख)       | बोकारो रीजन                          |                       |                |                       |          |                |
| 3         | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | 179                   | 72.446         | 23.705                | 96.151   |                |
| 4         | धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद             | 50                    | 20.236         | 6.622                 | 26.858   |                |
| योग:-     |                                      | 229                   | 92.682         | 30.327                | 123.009  |                |
| (ग)       | पलामू रीजन                           |                       |                |                       |          |                |
| 5         | मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर     | 195                   | 78.922         | 25.823                | 104.745  |                |
| 6         | गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा      | 50                    | 20.236         | 6.622                 | 26.858   |                |
| 7         | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा     | 100                   | 40.473         | 13.243                | 53.716   |                |
| योग:-     |                                      | 345                   | 139.631        | 45.688                | 185.319  |                |
| कुल योग:- |                                      | 724                   | 293.022        | 95.880                | 388.902  |                |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची

## योजना का नाम : सिल्विकल्यरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) :

311.33

कार्य दर प्रति हेतु

| क्र. सं. | कार्य का विवरणी   | इकाई                  | मानव दिवस | मजदूरी (रु0 में) | सामग्री (रु0 में) | कुल व्यय (रु0 में) | अभियुक्ति  |
|----------|---|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| i        | ii  | iii                   | iv        | v                | vi                | vii                | viii   |
| (A)      | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 311.33   |                       |           |                  |                   |                    |  |
| 1        | सर्वेक्षण एवं सीमाकर्तन   | हेतु                  | 3         | 933.99           | 0.00              | 933.99             |  |
| 2        | कटबेक / कॉपसिंग, वलाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)   | हेतु                  | 30        | 9339.90          | 0.00              | 9339.90            | इन कार्यों को करने के क्रम में कदाचि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् सार्वांग स्थल की विलीयोग्राफी / फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।                           |
| 3        | न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैच धेरान अथवा पत्थर धेरान किया जायेगा<br>(i) ट्रैच धेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित<br>(ii) पत्थर धेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0<br>(iii) झाड़ी धेरान | प्रति हेतु औसतन 6 चेन | 12        | 3735.96          | 11782.74          | 15518.70           | प्रति हेतु ट्रैच धेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपरुक्त ट्रैच वर्ष पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके। |
| 4        | मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 वर्यू मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हेतु (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)   | हेतु                  | 20        | 6226.60          | 0.00              | 6226.60            | औसतन 200 पौधे प्रति हेतु रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।   |
| 5        | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।   |                       | 40        | 12453.20         | 500.00            | 12953.20           | अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।   |
| 6        | गली प्लगिंग   | हेतु                  | 6         | 1867.98          | 0.00              | 1867.98            | नोट देखें  |
| 7        | सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि   | हेतु                  | 15        | 4669.95          |                   | 4669.95            | नोट देखें  |
| 8        | स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।  |                       | 2         | 622.66           | 960.40            | 1583.06            | स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी  |
| 9        | वनों की सुरक्षा   |                       | 2.00      | 622.66           | 0.00              | 622.66             |  |
|          | योग—  |                       | 130.00    | 40472.90         | 13243.14          | 53716.04           |  |

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी  | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) | अभियुक्ति  |
|----------|--|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| i        | ii   | iii  | iv        | v                | vi                | vii                | viii   |
| (B)      | वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए |      |           |                  |                   |                    |  |
| 1        | Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling खाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)   | 220  | 2         | 716.00           | 640.00            | 1356.00            | रथायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी |
| 2        | वृक्षारोपण   |      | 4.40      | 1575.20          | 0.00              | 1575.20            |  |
| 3        | दो कोडनी निकौनी  | हे०  | 5         | 1790.00          | 0.00              | 1790.00            |  |
| 4        | सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)   | हे०  | 0         | 0.00             | 500.00            | 500.00             |  |
| 5        | सिंगलिंग कार्य   |      | 4         | 1432.00          | 0.00              | 1432.00            |  |
| 6        | पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)   |      | 7.30      | 2613.40          | 0.00              | 2613.40            | देन्व घेरान की मरम्मति   |
|          | योग—   |      | 22.70     | 8126.60          | 1140.00           | 9266.60            |  |
| (C)      | वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 412 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए  |      |           |                  |                   |                    |  |
| 1        | सुरक्षा एवं संपोषण   |      | 7.30      | 3007.60          | 0.00              | 3007.60            | घेरान, कंटूर ट्रैंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग       |
|          | योग—   |      | 7.30      | 3007.60          | 0.00              | 3007.60            |  |
| (D)      | वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 473 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए |      |           |                  |                   |                    |  |
| 1        | सुरक्षा एवं संपोषण   |      | 7.30      | 3452.90          | 0.00              | 3452.90            | घेरान, कंटूर ट्रैंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग       |
|          | योग—   |      | 7.30      | 3452.90          | 0.00              | 3452.90            |  |
|          | सकल योग —  |      | 167.30    | 55060.00         | 14383.14          | 69443.14           |  |

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण रथल पर रथल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम रूप से तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
शारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत वना का संवर्द्धन, प्राकृतिक युनर्जनन, जल एवं मूँ-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

| क्र० सं० | वन प्रमंडल का नाम                   | वन प्रक्षेत्र का नाम          | प्रखण्ड का नाम     | स्थल का नाम   | आना / आना सं०  | जी०पी०ए०स० को—ऑडिनेट   | प्लॉट नंबर  | क्षेत्रफल (हे० मे०) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--|--|---|---------------------|
| (क)      | ii                                  | iii                           | iv                 | vi            | vii  | viii   | ix  | x                   |
| 1        | दुमका रीजन                          | भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर  | देवघर              | बड़की खरखार   | देवघर-96   | N24°२६'१७" E086°३१'१०"   | 9, 263, 268   | 20                  |
|          | देवघर वन प्रमंडल, देवघर             | भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर  | देवीपुर            | धनहेत         | सारवा-40   | N24°२१'१०" E086°४३'२१"   | 135P, 77P, 545P, 699P, 697P, 693P, 295P, 294P, 531P, 36P                      | 30                  |
|          |                                     | भू संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर | मधुपुर             | गोबरदहा       | मधुपुर-25  | N24°२३'२७" E086°२९'१५"   | 10P   | 20                  |
|          |                                     | भू संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर | मधुपुर             | चेचाली        | मधुपुर-124   | N24°१८'५०" E086°२९'०९"   | 676, 124, 1205, 1163, 1172, 1238, 862, 858, 31, 61, 1262, 264, 292, 324 योग:- | 30                  |
|          |                                     |                               |                    |               |  |  | 100   | 100                 |
| 2        | गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा           | गोड्डा                        | सुन्दरपहाड़ी       | सिमलडाव       | सुन्दरपहाड़ी-15                                      | N24°३९'३५.२५८४" E87°७'१७.११८६"   | 01, 283   | 50                  |
|          |                                     |                               |                    |               |  |  | योग:-   | 50                  |
| (ख)      | बोकारो रीजन                         |                               |                    |               |  |  |   |                     |
|          | जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र              | जमुआ                          | जोरासांख, मुडाटांड | जमुआ-425, 424 | N24°१६'१२.७२" E86°०९०.१८६" N24°१६४६.५६" E86°०९३०.३६" | 79, 1105   | 50  |                     |
| 3        | गिरिझीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिझीह | गिरिझीह वनरोपण प्रक्षेत्र     | बंगाबाद            | ओशाईह         | बंगाबाद-11 जी०                                       | N24°२०'१९" E86°१७'४७"  | 6, 40   | 30                  |
|          | डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र           | डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र     | धनवार              | महुलिया       | धनवार-45   | N24°२७'३३.१५" E85°५२'११.१८"  | 2, 4, 6, 7  | 50                  |
|          | डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र           | डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र     | देवरी              | लिट्टी        | धनवार-06   | N24°३०'०६.४३" E86°३८'३९.२८"  | 2   | 24                  |
|          | बंगाबाद वनरोपण प्रक्षेत्र           | गाण्डेय                       | बुटोरी             | गिरिझीह-130   | N24°०४'०९" E86°२६'३३"                                | 1, 198, 199, 200, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 84, 85, 87, 88, 172, 70, 20, 10 योग:- | 25  | 179                 |

| क्र० सं० | वन प्रमंडल का नाम               | वन प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड का नाम | स्थल का नाम | आना / आना सं० | जी०पी०एस० को-ऑडिनेट         | प्लॉट नंबर  | फल (हे० मे) |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|---|-------------|
| i        | ii                              | iii                  | iv             | vi          | vii           | viii                        | ix  | x           |
| 4        | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद         | तोपचाँची प्रक्षेत्र  | तोपचाँची       | डोमनपुर     | तोपचाँची-174  | N23°54'36.50" E86°17'33.94" | 82P   | 50          |
|          |                                 |                      |                |             |               |                             | योग:-   | 50          |
| (ग)      | पलामू रीजन                      |                      |                |             |               |                             |   |             |
| 5        | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर |                      |                |             |               |                             |   | 195         |
|          |                                 |                      |                |             |               |                             | योग:-   | 195         |
| 6        | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा  | नगर                  | नगर उंटारी     | चाधरा       | गढ़वा-40      | N24°19'21" E83°29'39"       | 1,2P,5  | 50          |
|          |                                 |                      |                |             |               |                             | योग:-   | 50          |
| 7        | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | रंका पूर्वी          | रंका           | जोलंगा      | रंका-132      | N23°53'55.96" E83°47'32.65" | 1,2,4,217 to 223, 89, 257, 91, 92, 50, 5, 6, 88, 256, 199, 224 to 233, 234 to 250 | 50          |
|          |                                 | रंका पश्चिमी         | रंका           | रनपुरा      | रंका-17       | N23°57'25.36" E83°35'29.37" | 3P, 4, 5, 7P  | 50          |
|          |                                 |                      |                |             |               |                             | योग:-   | 100         |
|          |                                 |                      |                |             |               |                             | कल योग:-  | 724         |

अपर प्रधान मुख्य वन्स सरक्षक, विकास,  
जारखण्ड, राँची

✓



## आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

यात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आर्वाणित की जाती है।

2021-22

में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

## पत्र संख्या -

01/YB-29/2021/769

दिनांक

23-Nov-2021

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                         |
|---------|---|-----------|---|-------------------------------------|
| 1       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59314     | DGRFORE88<br>RAJ KUMAR SAH<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br>03 - मजदूरी                  | रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ |
| 2       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59315     | GDDFOR164<br>PATRUNI RAJENDRA<br>NAIDU<br>DFO GODDA FOREST<br>DIVISION<br>03 - मजदूरी | रुपये बीस लाख तेहस हजार छ: सौ       |
| 3       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59316     | GRDFOR003<br>SHABA ALAM ANSARI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST<br>FOR. DIV.<br>03 - मजदूरी     | रुपये बहुत्तर लाख चवालीस हजार छ: सौ |

三

ਰੂਪਯੇ ਏਕ ਕਗੋਡ ਤੈਤੀਸ ਲਾਖ ਪੰਡਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚ ਸੌ

### कस्तिक योगः

13.315.500,00

(HAND WRITING SINCE)

APPL - PGCE DEV. II MARKUAND

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि   |
|---------|--|-----------|--|---|
| 4       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59317     | DHNFOR001<br>SRI BIMAL LAKRA<br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER<br>03 - मजदूरी                  | 2,023,600.00<br>रुपये बीस लाख तेइस हजार छ: सौ       |
| 5       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59319     | PLMFOR070<br>AMARNATH PRASAD<br>SINGH IFS<br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST.DIV.<br>03 - मजदूरी | 7,892,200.00<br>रुपये अठहत्तर लाख बयानवे हजार दो सौ |
| 6       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59322     | GRHFWL001<br>DILEEP KUMAR YADAV<br>D.F.O. NORTH DIV.<br>GARHWA<br>03 - मजदूरी                | 2,023,600.00<br>रुपये बीस लाख तेइस हजार छ: सौ       |

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योगः

रुपये दो करोड बावन लाख चौपन हजार नौ सौ

11,939,400.00

क्रमिक योगः

25,254,900.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCF DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---------|---|-----------|---|---|
| 7       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आ०परेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59325     | GRHFWL004<br>SHASHI KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br>03 - मजदूरी            | 2,975,700.00<br>रुपये उन्तीस लाख पचहत्तर हजार<br>तीन सौ |
| 8       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आ०परेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 59327     | GRHFWL004<br>SHASHI KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br>03 - मजदूरी            | 1,071,600.00<br>रुपये दस लाख इकहत्तर हजार छ:<br>सौ      |
| 9       | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आ०परेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59328     | DGRFORE88<br>RAJ KUMAR SAH<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 1,324,300.00<br>रुपये तेरह लाख चौहस हजार तीन<br>सौ      |
|         |   |           |   | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                |

योगः

रुपये तीन करोड छ: लाख छब्बीस हजार पाँच सौ

5,371,600.00

क्रमिक योगः

30,626,500.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ANIL PCCE DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                                      |
|---------|---|-----------|--|--|
| 10      | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेंपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59329     | GDDFOR164<br>PATRUNI RAJENDRA<br>NAIDU<br>DFO GODDA FOREST<br>DIVISION<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 662,200.00<br>रुपये ४: लाख बासठ हजार दो सौ       |
| 11      | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेंपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59331     | GRDFOR003<br>SHABA ALAM ANSARI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST<br>FOR. DIV.<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री     | 2,370,500.00<br>रुपये लेइस लाख सत्तर हजार पॉच सौ |
| 12      | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आर्टेंपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59332     | DHNFOR001<br>SRI BIMAL LAKRA<br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री           | 662,200.00<br>रुपये ४: लाख बासठ हजार दो सौ       |
|         |   |           |  | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA         |

योगः

रुपये तीन करोड़ तीरयालीस लाख इक्कीस हजार चार सौ

3,694,900.00

क्रमिक योगः

34,321,400.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCF DEV JHARKHAND

| क्रमांक  | विषय कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|--|---|-----------|--|--|
| 13   | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59333     | PLMFOR070<br>AMARNATH PRASAD<br>SINGH IFS<br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST, DIV.<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 2,582,300.00<br>रुपये पच्चीस लाख बयासी हजार तीन सौ |
| 14   | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59334     | GRHFWL001<br>DILEEP KUMAR YADAV<br>D.F.O. NORTH DIV.<br>GARHWA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री                 | 662,200.00<br>रुपये छ: लाख बासठ हजार दो सौ         |
| 15   | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर औपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59335     | GRHFWL004<br>SHASHI KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री                        | 1,221,700.00<br>रुपये बारह लाख इक्कीस हजार सात सौ  |
| योग: <span style="float: right;">4,466,200.00</span><br>क्रमिक योग: <span style="float: right;">38,787,600.00</span> |   |           |  |  |
| (NAND KISHORE SINGH)<br>ADDI - PCCE DEV JHARKHAND  |   |           |  |  |

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                              |
|---------|--|-----------|---|--|
| 16      | S 19 24060110140010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्वीकल्चरल आँपेरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 59336     | GRHFWL004<br>SHASHI KUMAR<br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br>23 - आपुर्ति एवं सामग्री | 102,600.00<br>रुपये एक लाख दो हजार छ: सौ |

State Scheme : NA  
 Central Scheme : NA



योगः

102,600.00

रुपये तीन करोड अठयासी लाख नब्बे हजार दो सौ

क्रमिक योगः

38,890,200.00

(NAND KISHORE SINGH)  
 ADDL PCCE DEV JHARKHAND